राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

rajssashaladarshan@gmail.com फोन–0141–2711964

क्रमांक : राप्राशिप/जय/शाला दर्शन/2017–18 / 8331 दिनांक 26/10/17

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि.
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
सर्व शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

जिला शिक्षा अधिकारी, मा.शि.
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
राष्ट्रीय मा. शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

विषय – शाला दर्शन पोर्टल पर पीईईओ/बीईईओं लॉगिन से मॉड्यूल में प्रविष्टी/अपडेशन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन सचिव महोदय के निर्देशानुसार शालादर्शन पोर्टल पर उपलब्ध सभी राजकीय विद्यालयों से संबन्धित सूचनाओं का उपयोग शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों द्वारा किया जाना है। किसी भी कार्यालय द्वारा विद्यालयों से पृथक से कोई सूचना नही मांगी जावेगी। अतः सूचनाओं को शाला दर्शन पोर्टल पर शत प्रतिशत सही प्रविष्ट/अपडेट किये जाने की सुनिश्चिता करें। गलत सूचनाओं से होने वाले प्रतिकूल प्रभाव के लिए संबन्धित शाला प्रधान जिम्मेदार होंगे।

शालादर्शन पोर्टल के पीईईओ एवं बीईईओं लॉगिन से उनके अधीनस्थ प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों का नामांकन 'आधार तिथि 30.09.2017' के अनुसार अपडेट कर लॉक किया जाना है।

सभी पीईईओ एवं बीईईओं अपने अधीनस्थ विद्यालयों में निम्नानुसार प्रविष्टि/अपडेशन किये जाने की सुनिश्चितता करावें –

1. **प्रपत्र–3 (विद्यार्थी कक्षा ग्रुप वार नामांकन प्रपत्र), 3a(विद्यार्थी विस्तृत विवरण) व 3b(विद्यार्थी विस्तृत विवरण) में विद्यार्थियों की संख्या समान होनी चाहिए।**
2. प्रपत्र 3a में नामांकन प्रपत्र–3 से अधिक होने की स्थिति में जो विद्यार्थी विद्यालय में अध्ययनरत नही है उनका उचित कारण चयन करते हुए हटाया जाना है अथवा T.C. जारी करें।
3. प्रपत्र 3a में नामांकन प्रपत्र–3 से कम होने की स्थिति में शेष रहे विद्यार्थियों की प्रविष्टि "नव प्रवेशित मोडयूल" से एंट्री करें। (नव प्रवेशित विद्यार्थी की प्रविष्टि उपरांत कंफर्म किये जाने पर ही नव प्रवेशित विद्यार्थी 3a प्रपत्र में दिखाई देते हैं।)
4. सभी विद्यार्थियों का 3b अपडेशन किया जाना अनिवार्य है। **(सत्र 2016–17 में प्रवेशित व वर्तमान सत्र में प्रवेशित सभी विद्यार्थियों का)**
5. सभी विद्यार्थियों के **आधार अथवा आधार पंजीकरण संख्या** शत प्रतिशत प्रविष्ट करने की सुनिश्चितता करें।
6. प्रपत्र–3 व 3a में लिंगवार/कक्षा ग्रुप वार नामांकन समान होने की सुनिश्चितता कर लेवें।
7. **कक्षा 6 से 8** में अध्ययनरत विद्यार्थियों की **तृतीय भाषा** की मैपिंग शत प्रतिशत करें।

www.rajteachers.com

8. विद्यालय में **शून्य नामांकन होने की स्थिति में 0 भर कर सेव कर लॉक** किया जाना अनिवार्य है।
9. विद्यालय **डायस के नामांकन व शालादर्शन पोर्टल के नामांकन (आधार तिथि 30 सितम्बर 2017) में अंतर** होने की स्थिति में होने वाली कार्यवाही के लिए संबन्धित विद्यालय के संस्था प्रधान स्वयं जिम्मेदार होंगे।
10. **प्रपत्र–3, 3a व 3b में पूर्व में प्रविष्ट सूचनाओं में आधार तिथि 30.09.17 तक कोई अपडेशन की आवश्यकता नहीं होने की स्थिति में भी प्रपत्र–3 को पुनः लॉक किया जाना अनिवार्य है।**
11. **पीईईओ लॉगिन से ग्राम पंचायत सहायक की प्रविष्टि करवाए जाने की सुनिश्चितता करावें।**

उपरोक्त मॉड्यूल्स में सूचनाओं का अपडेशन पत्र जारी होने की **दिनांक से 7 दिवस में** किया जाना सूनिश्चित करवायें जाने का श्रम करावें।

(डॉ. प्रिया बलराम शर्मा)
उपायुक्त(शाला दर्शन)
दिनांक 26/10/17

क्रमांकः–राप्राशिप / जय. / शा.दर्शन / 2017–18 / 8332
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. निदेशक, मा.शि., प्रा. शि, निदेशालय, बीकानेर।
4. सहा.निदेशक, शालादर्शन प्रकोष्ट, बीकानेर को देकर लेख है की निदेशालय शाला दर्शन टीम द्वारा उक्त मॉड्यूल्स में अपडेशन की मॉनिटरिग करवाये जाने की सुनिश्चिता करावें।
5. बीईईओ, समस्त कार्यालय को देकर लेख कि शाला दर्शन पर उक्त मॉड्यूल्स में प्रविष्टी / अपडेशन किया जाना सुनिश्चित करें।
6. प्रधानाचार्य एवं पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त ग्राम पंचायत को देकर लेख कि शाला दर्शन पर उक्त मॉड्यूल्स में प्रविष्टी / अपडेशन किया जाना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

(राजेश कुमार)
उपनिदेशक (शाला दर्शन)

www.rajteachers.com